DOP-XIII

सं0 27/10/2013-एस0आर0एस0
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली ।
दिनांक 18 दिसम्बर, 2013

18 DEC 2013

सेवा में,

मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश ।

मुख्य सचिव
उत्तराखंड शासन
सचिवालय, देहरादून
उत्तराखंड ।

विषयः-दिनांक 18.09.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की संस्तुति की अनुपालन में रिट याचिका संख्या 4502/11, श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, कनिष्ठ सहायक के प्रकरण पर माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर विचार।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या 4502/11 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में, श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, कनिष्ठ सहायक से उत्तर प्रदेश राज्य पुनरावंटन हेतु प्राप्त आवेदन पर परामर्शी समिति की दिनांक 18.09.2013 को आयोजित बैठक में विचार किया गया । समिति द्वारा प्रमुख सचिव, उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग को निदेशित किया था कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार यह तय किया जाये कि श्री श्रीवास्तव प्रो-राटा के आधार पर कनिष्ठ है अथवा नहीं । प्रमुख सचिव, उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा संबंधित विभाग के साथ बैठक करने के उपरांत आख्या प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार श्री श्रीवास्तव प्रो-राटा के आधार पर कनिष्ठ नहीं पाये गये । अतः समिति द्वारा उनका राज्य पुनरावंटन उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश किये जाने कि संस्तुति की गयी ।

2. भारत सरकार परामर्शी समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, कनिष्ठ सहायक का राज्य पुनरावंटन उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के लिये किया जाता है ।

3. कार्मिक को इस निर्णय के बारे में सूचित किया जाए ।

भवदीय,

(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1. श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग,46,बहुखण्डी भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
2. श्रीमती हेमलता ढौंडीयाल, सचिव, उत्तराखंड पुनर्गठन विभाग, सचिवालय, देहरादून

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लोक नायक भवन
Deptt. of Personnel & Trg., L. N. Bhawan
प्राप्ति और निर्गम अनुभाग
Receipt & Issued Section
18 DEC 2013
जारी किया/ISSUED